New Man International Journal of Multidisciplinary Studies
(UGC Approved Journal No. 45886)
ISSN: 2348-1390
Impact Factor: 4.321 (IIJIF)

29.

छत्तीसगढ़ में आदिवासी विस्थापन और विकास के मायने

संजीव कुमार मांजरे
शोधार्थी (पीएचडी)
सेंटर फॉर स्टडीज एंड रिसर्च इन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर

संतोष कुमार बंजारे
शोधार्थी, पीएचडी, सेंटर फॉर स्टडीज एंड रिसर्च इन डायस्पोरा,
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर

सारांश: *भारतीय समाज व्यवस्था में आदिवासी आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे कमजोर तबके के रूप में जाना जाता है। इनकी आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य की स्थिति अन्य समाज के तुलना में कमतर आंकी जाती है। किन्तु, सामाजिक, सांस्कृतिक, लोक–कला, तीज–त्यौहार तथा प्रकृति प्रेम किसी से कम नहीं होती है। जल, जंगल, जमीन ही इनके सबकुछ होता है जिससे इनके विशेष मार्मिक और आत्मिक लगाव होता है। आज विस्थापन के दुष्प्रभाव से आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की अटूट रिश्ते, आवास, आजीविका से हमेशा के लिए अलग होना पड रहा है। विकास के आड़ में विस्थापन ने आदिवासियों के जीवकोपार्जन का आधार ही खत्म कर दिया है। नए स्थानों में नई वातावरण ने आदिवासियों के अस्तित्व के जद्दोजहद की काफी मुश्किलें बढाई है। अधिकतर यह मुश्किलें आपसी विश्वास, भरोसा, घर–परिवार के रिश्ते, इज्जत, तथा शांति–प्रेम को ही ग्रहण लगा दिया है। इस तरह आदिवासी विस्थापन से इनके जीवन में बहुत उतार चढाव आया है। आदिवासियों को विकास के नाम पर बलि का भेंट चढ़ाया जा रहा है। विस्थापन की इस प्रक्रिया ने इस हद तक प्रभावित किया है कि आज पच्चीस प्रतिशत आदिवासी जीवन में एकबार न एकबार विस्थापन का शिकार हो रहा है। कहा जाता है कि अबतक लगभग चालीस प्रतिशत आदिवासी का विस्थापन हुआ है। विकास के नाम पर राजनितिक शिकार, विभिन्न औद्योगिक कारखाने, बांध, खदान, बिजली संयंत्र, उद्यान, नगरीकरण एवं शहरीकरण, तथा नक्सलवाद आदि के नाम से विस्थापन होता रहा है। विस्थापन को ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में समझने के लिए उन्हें दो भागों में स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात् के रूप में विभाजित किया गया गया है, साथ ही पांचवी एवं छठवी अनुसूची का भी संक्षिप्त उल्लेख किया गया है तथा इन्ही विस्थापनों को संभागवार प्रकट करने का प्रयास किया गया है। यह शोध रचना पूर्ण रूप से द्वितीयक आंकड़ो पर आधारित है, जिनमे प्रमुख रूप से किताब, शोध जर्नल, समाचार पत्र–पत्रिकाएं, सरकारी रिपोर्ट, इन्टरनेट का अवलोकन किया गया है।*

परिचय:

छत्तीसगढ़एक आदिवासी बाहुल्य प्रदेश हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 32 प्रतिषत है। उत्तर में सरगुजा संभाग एवं दक्षिण में बस्तर संभाग में इनकी आबादी प्रत्येक जिले में 55–65 प्रतिशत है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी संस्कृति के लिए विश्वविख्यात हैं तथा अपनी एक विशेष पहचान रखती हैं। जिसके कारण बस्तर देश–विदेश के मानवशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों एवं साहित्यकारों के लिए शोध का एक विशेष केंद्र बिन्दु रहा है। बस्तर का 75 दिवसीय दशहरा, बायसन हार्न नृत्य, रेला नृत्य, नुआखायी, हरियाली, प्रकृति पूजा, भाषा–शैली एवं चारो ओर से आबाद हरे–भरे घने जंगल आदिवासी जीवन और संस्कृति को एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। लेकिन वर्तमान में आदिवासी विस्थापन एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। विकास के नाम पर आदिवासियों का सफाया किया जा रहा है। उनके जल, जंगल और जमीन पर बड़े–बड़े परियोजनायें लगाए जा रहे हैं। जिसमें सिंचाई, बांध, बिजली संयंत्र, कोयला खदान, लौह खदान आदि शामिल हैं। परिणामस्वरूप, आदिवासियों का विस्थापन निरंतर रूप से जारी है। कुजूर (2008) कहते हैं, कि रायपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग–भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, के अलावा बस्तर में आदिवासी क्षेत्रों में सीमेंट और बड़े–बड़े लौह–अयस्क के कारखाने संचालित किए जा रहे हैं। इस तरह विकास के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में भरे अकूत प्राकृतिक सम्पदा, कोयला, सोना, हिरा, डोलोमाइट, बाक्साइट, टिन, इमारती लकड़ियॉ, साल–सागौन, गोंद, औषधि

जड़ी–बूटी, हवा, पानी, वह सब कुछ जो शहरों में दिवास्वप्न होता है, उसे विकास के नाम पर लुटा और दोहन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में लगभग 29 प्रकार के खनिज संसाधन पाये जाते हैं।

मीडिया खबरों के मुताबिक भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार देश में आतंरिक विस्थापितों की संख्या 30.9 करोड़ से अधिक था। इसी तरह 2007–08 के नेशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाईजेशन (NSSO) के आकंडे बताते हैं कि कुल आबादी का तकरीबन 30 फीसदी यानि 32.6 करोड़ लोग आतंरिक प्रवासी थे। इसमे सबसे अधिक जनसंख्या 70 फीसदी महिलाओं की थी। इसीतरह, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार आतंरिक विस्थापितों की संख्या 40 करोड़ तक पहुॅच चुकी थी। प्रत्येक दस भारतीयों में से हर तीन भारतीय आंतरिक विस्थापन के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रवासन और विस्थापन का दंश आदिवासी समुदाय ही झेल रहा है। उनको तथाकथित शहरी समाज और बाजारवादी अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर वहां की सरकार ने लील लिया है। आज उनके साथ विकास के नाम पर सौतेला और दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। आदिवासियों को उनके भोलेपन और सादगी का जमकर शहरी–संस्कृति के द्वारा मजाक बनाया जा रहा है। उनके सामजिक, सांस्कृतिक आर्थिक और राजनैतिक जीवन पर दखल दिया जा रहा है। उनके जल, जंगल और जमीन पर विकास के नाम पर षडयन्त्रपूर्वक जबरदस्ती कब्जा जमाया जा रहा है। उनके साथ झूठे अपराधिक मामलों का केस बनाकर डराना–धमकाना, उनके बहु–बेटियों के साथ अनाचार, हत्या जैसे गंभीर अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं, तथा उनको झूठे मामलों में फंसाया भी जा रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। परिणामस्वरूप, अगर कोई आदिवासी द्वारा शासन प्रशासन के खिलाफ अपने आवाज भी उठा लेता है, तो उन पर पुलिसिया बर्बरता और दमनीय कार्यवाही की जाती है। नक्सलवाद के नाम पर महिलाओं से बलात्कार करके उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। उनको पुलिस द्वारा कोर्ट में भी पेश नहीं किया जाता है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय अपने जीवन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है तथा पूरा जीवन संकटमय हो चुका है। हालांकि, आदिवासियों का यह विस्थापन केवल छत्तीसगढ़ तक ही सिमित नहीं है वरण उन प्रत्येक राज्यों में बदस्तूर जारी हैं जहॉ कि जमीन प्राकृतिक सम्पदा से भरी पड़ी है जैसे कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य हैं।

आदिवासी अंचलों में खनिज उत्पादों का दोहन करने के लिए नगरीकरण और शहरीकरण के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन करवाया जा रहा हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के वर्तमान रमन सरकार द्वारा आदिवासियों की जमीन को विकास के नाम पर उद्योपतियों में बंदरबाट की गई है। जिसके कारण आज आदिवासी समुदाय तथा उनके संस्कृति में असंतुलन पैदा हो गया है। बेरोजगारी की अधिकता है, गरीबी और भुखमरी की भयंकर समस्या है। तथा उनके बुनियादी सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हो पाएं हैं इसके विपरीत जो इनके जल, जंगल, जमीन को लुट रहे हैं, वे लोग मालामाल हो रहे हैं। इस तरह से इनके प्रकोप से लोग प्रभावित हुए हैं। कुल छः राज्यों में किए गए अध्ययन में पाया गया है कि लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी विस्थापित हुए हैं तथा हर दसवां आदिवासी विस्थापन के शिकार हैं। यदि विस्थापन के आंकड़ो पर ध्यान दिया जाए तो ज्ञात होता है कि सन 1951–1990 तक कुल 110 लाख से 185 लाख तक आदिवासियों का विस्थापन हुआ है। जिसका प्रमुख कारण 1600 बड़े बांध का बनाना है,दस हजार साधारण और समान सिंचाई के लिए नहर तंत्र का निर्माण शामिल है (राव, 2013)। वैसे तो देश में स्वतंत्रता पूर्व लगभग 300 बांध थे जो इस समय बढ़कर 3600 के आसपास पहुॅच चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार एक बांध में 20 हजार लोगों का विस्थापन होता है (चतुर्वेदी, 2014)।

विस्थापन और विकास की अवधारणा

विस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को परिवार, समाज, रिश्ते, गांव, पैतृक स्थान, जल, जंगल, जमीन, जीवन–शैली, सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक, जीवकोपार्जन के स्रोत को अनचाहे रूप से त्याग कर दूसरे स्थान में प्रवासन कराया जाता है। भारत के अन्दर होने वाले विस्थापन ज्यादातर

शासन–प्रशासन के दबाव में या प्रभावी पक्ष के सहयोग से ही होता है। जिसमें धोखा, छल–कपट, तथा बलपूर्वक विस्थापन करवाया जाता है। विकास की दृष्टि से अगर देखें तो मानव में प्रवासन तथा विस्थापन के अन्य प्रमुख कारण हो सकते हैं जैसे कि बॉध निर्माण, सौर एवं जल ऊर्जा के लिए संयंत्र स्थापन के कारण, खनिज उत्पादन, नगरीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, नक्सलवादी समस्याएं, सैन्य हमलें, उद्यान, खेल मैदान, रोजगार के तलाश, शिक्षा इत्यादि के लिए। वहीं प्राकृतिक रूप से आपदाओं के कारण भी विस्थापन संभव होता है जैसे कि किसी क्षेत्र में बार–बार भूकंप, आंधी–तूफान, चक्रवात, भीषण वर्षा एवं बाढ़ तथा अकाल आना भी विस्थापन के लिए जिम्मेदार होते हैं (प्रमोद पेठकर, 2008)।

विकास अपने आप में एक जटिल अवधारणा है। इसके परिभाषा भी भिन्न–भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा इसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे अर्थ में बढ़ोतरी तथा राजनीतिक विज्ञानियों द्वारा इसे प्रजातान्त्रिक सहभागिता तथा उत्पादन एवं उच्च जीवन शैली के तरीके में बढ़ोत्तरी आदि से निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो विकास की अवधारणा के मतों में भी भिन्नता पाई जाती है। इसपर श्रीवास्तव (2007) कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी कार्यालयीन सुगमता, अनुपालन, अनुशासन के माध्यम से विकास की अवधारणा निर्धारित करते हैं। इसका तात्पर्य है कि मानवजीवन के व्यावहारिक दिनचर्या में आये गुणात्मक सुधार, अपनत्व, सहायता के गुणों में वृद्धि ही विकास है।

विस्थापन को हम दो भागों में विभाजित कर समझ सकते हैं। प्रथम मानवीकृत विस्थापन, एवं दूसरा प्राकृतिक विस्थापन।

अ. मानवीकृत विस्थापनः इसमें सरकार, पूंजीपति एवं उद्योगपतियों का दखल होता है। यहीं से विकास के नाम पर जमीनों का खिलवाड़ शुरू होता है। सरकार सरकारी कार्यों के संचालन एवं विकास के नाम पर भूमि का मनमाने रूप से अधिग्रहण तथा पूंजीपतियों को उद्योग धंधों के नाप पर जमीन का हस्तांतरण करता है। परिणामस्वरूप, आदिवासियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। क्योंकि, पूंजीपतियों द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है जिसके कारण जल, जंगल और जमीन आदिवासियों के हाथ से हमेशा के लिए चला जाता है। जहॉ पर बड़े–बड़े कारखाने और प्लांट लगा दिए जाते हैं। यह जमीन आदिवासियों के लिए अत्यधिक मायने रखता है क्योंकि यह जंगल और जमीन केवल उनके रोजगार और घर नहीं वरण पूरा संसार होता है जहॉ पर उनके सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक, रीति–रिवाज की एक अटूट आत्मीय रिश्ता होता है जहॉ उनके जीवन के हर पल गुजरा होता है। हालांकि, इसमें अन्य मानवीय कारक भी हो सकता है जिसके कारण इनका विस्थापन होता है जैसे कि रोजगार के लिए स्थान बदलना, शिक्षा के लिए शहर की ओर रुख करना, आदि। मानवीकृत विस्थापन को हमने मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं पर संक्षिप्तउल्लेख किया है जिसमें आदिवासीयों के विस्थापन के मुख्य कारकों पर प्रकाश डाला है।

1. **विभिन्न निर्माण कार्यः** आदिवासी समुदाय हमेशा से ही विकास के नाम पर बलि चढ़ा हैं, ठगा गया है, उन्हें अपने ही घर से बेदखल किया गया है। इसमें प्रमुख कारणों में शहरीकरण के नाम पर, औद्योगिकीकरण के नाम पर, बॉध एवं बिजली निर्माण सयंत्र स्थापित करने नाम परतथा विभिन्न सरकारी योजनाओं मेंनाम पर। आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए बिचौलियों द्वारा उनको नौकरी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, रहन–सहन, स्वास्थ्य, आवास आदि जैसे लुभावने व मनमोहक बातों पर बहलाया–फुसलाया जाता है और जमीन हड़प ली जाती है। नहीं मानने पर कहीं–कहीं हिंसा हत्या, ब्लातकार जैसे अपराधों का भी सहारा लिया जाता है जिससे आदिवासी समुदायों को आर्थिक हानि के अलावा शारीरिक और मानसिक पीडा भी सहना पड़ता है। परिणामस्वरूप, इन समुदाय के पास विस्थापन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है।

परिवार गरीबी, भुखमरी, बेरोजगार और आवासहीन हो जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों की ऐसी हालत आम है।

2. **खनिज दोहनः** जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने प्राकृतिक संपदाओं से परिलक्षित हैं जहॉ पर हिरा, सोना, लोहा, कोयला, बाक्साइट, डोलोमाइट, टीन इत्यादि भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं।जिसका दोहन करने के लिए देश–विदेश के कम्पनियॉ बसाए जा रहे हैं। जिसका सीधा प्रभाव वहां के आदिवासीयों के जल, जंगल और जमीन पर पड़ रहा हैं। इसके लिए पूरा का पूरा गॉव खाली करवा दिया जा रहा है तथा बिना नीति निर्माण किए ही उनका विस्थापन करवा दिया जाता है।
3. **बाहरी हस्तक्षेपः** आज आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बढ़ जाने से उनमें अशांति, विरोध, विद्रोह की भावना प्रबल हुई है। क्योंकि, गैरों ने उन्हें हमेशा धोखा दिया है। इनके विश्वास, सच्चाई, भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर उनके अपने क्षेत्र से उन्हे बेदखल और विस्थापित किये हैं।

ब. **प्राकृतिक विस्थापनः** इस विस्थापन के प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदाओं को माना जाता है जिसमें मनुष्य को हालत के हिसाब से एक स्थान से दुसरे स्थान में विस्थापित होना पड़ता है। इसके मुख्य कारक भूकंप, आग, तूफान, बाढ़, भारी वर्षा, अकाल आदि होते हैं लेकिन भारत में ऐसे प्रवासन और विस्थापन आदिवासी इलाकों में बहुत ही कम होता है।

उपरोक्त वर्णित दोनों ही प्रकार के विस्थापन आदिवासियों के लिए घातक होते हैं। मानव द्वारा निर्मित विस्थापन के कारणोंसे आज आदिवासियों के जीवन ही संकट में पड़ चुका है। क्योंकि, मानवनिर्मित विस्थापन सरकारी तंत्र की लुट और बाजारवाद के प्रबल समर्थक होने के कारण किसी भी चीज को बेचने में पीछे नहीं हटता चाहे वह किसी की सभ्यता, संस्कृति तथा जीवन ही क्यों न हो। छतीसगढ़ इस मामले में आज बहुत आगे बढ़ चुका हैं यहॉ पर आये दिन आदिवासियों को विभिन्न सरकारी षडयंत्रों का सामना करना पड़ता है। यहॉ पर हर साल हजारो–लाखों की संख्या में आदिवासियों को पलायन करवाया जा रहा है। उनके जल, जंगल और जमीन का बन्दरबाट किया जा रहा है। जमीन को हथियाने के लिए विभिन्न सरकारी हथकंडे अपनाये जा रहे हैं। नक्सलवाद के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस तरह हम अगर छतीसगढ़ के सन्दर्भ में विस्थापन को देखें तो पाते हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर बहुत ही दमनकारी निति अपनाई गई हैं। इसको विस्तार से समझने के लिए मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किये हैंः 1. स्वतंत्रता पूर्व विस्थापन, 2. स्वतंत्रता पश्चात् विस्थापन।

1. **स्वतंत्रता पूर्व विस्थापनः** आजादी से पूर्व भी देश में आदिवासियों की भारी संख्या में विस्थापन हुआ है। उस समय भारत में औपनिवेशिक काल का दौर था। जिसका प्रमुख उद्देश्य ही भारतीय सम्पदा का दोहन करना और भारतीय आदिवासी मजदूरों को विदेश के विभिन्न कॉलिनिओं में भेजना था। जहॉ पर अंग्रेज सरकार अपने कंपनियों में हो रहे मजदूरों की कमी को पूरा कर सके। उस काल में आदिवासीयों को बहुतायत मात्रा में विदेशों में बंधवा मजदुर बनाकर बेचा गया था। जिसके कारण उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर शोषण होता रहा। आदिवासी मजबूर थे अपने घरों को छोड़ने के लिए जो विस्थापन का कारण बना। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध भी दर्ज किए जिसका परिणाम विभिन्न आदिवासी विद्रोह के रूप में निकला। संक्षिप्त में प्रमुख से इस प्रकार हैंः

- हल्बा विद्रोह 1774–1779
- परालकोट विद्रोह 1825
- तारापुर विद्रोह 1842–1854
- मारिया विद्रोह 1842–1863

- कोई विद्रोह 1859
- भूमकाल विद्रोह 1910

हल्बा विद्रोह 1774–1779: यह विद्रोह आदिवासियों द्वारा बस्तर मे सन 1774 में हुआ। जिसमें डोंगर के गवर्नर अजमेर सिंह के अगुवाई में किया गया। इस विद्रोह में सभी हल्बा आदिवासियों ने अजमेर सिंह का साथ दिया था। हल्बा विद्रोह का मूल कारण अपनी जल, जंगल,जमीन और अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए ही हुआ था। क्योंकि उस समय भारत देश एक लम्बे समय से अकाल के दौर से गुजर रहा था। लोगों के पास किसी भी तरह के साधन नहीं थे अपने जीविका बचाने के लिए, ऐसे में लोग भूखे मर रहे थे। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने चालुक्य वंश को हराकर आदिवासियोंपर कब्जा जमा लिया।

परालकोट विद्रोह 1825: यह विद्रोह अबूझमाड़िया आदिवासियों के द्वारा किया गया था। विद्रोह का प्रमुख कारण भी बाहरी (ब्रिटिश) लोगों का विरोध ही था। चूँकि, अंग्रेजी शासन का बस्तर में कब्जा हो चुका था और ये लोग पूरी तरह से बस्तर के प्राकृतिक पर्यावरणीय परिस्थिति को अपने हिसाब से बदल देना चाहते थे। प्राकृतिक सम्पदा के धनी बस्तर को लूट लेना चाहते थे। इन्हीलूट से मुक्ति के लिए,शोषण और अत्याचार से निजात पाने के लिए विद्रोह कियागया था।

तारापुर विद्रोह 1842–1854:यह विद्रोह अपने सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा जल, जंगल, जमीन की अस्तित्व के लिए बाहरियों के खिलाफ छेड़ा गया था। इनका नेतृत्व एक स्थानीय दीवान द्वारा किया गया था।

मारिया विद्रोह 1842–1863: इस विद्रोह का प्रमुख कारण गैर–आदिवासियों द्वारा बस्तर के भूमि का अनुचित उपयोग और उस पर हस्तक्षेप करने से रोकना था। क्योंकि, गैर–आदिवासियों के द्वारा उनके जल, जंगल और जमीन के साथ–साथ उनके पारंपरिक रीति–रिवाज का उल्लंघन भी कर रहे थे। इस विद्रोह को मारिया आदिवासी समुदाय द्वारा बहुत लंबे समय तक किया गया था।

कोई विद्रोह 1859: कोई विद्रोह जबरदस्ती बस्तर के जंगल में अनुचित तरीके से ब्रिटिश सरकार के द्वारा वहॉ के बेशकीमती साल वनों की कटाई के विरोध के लिए हुआ था। जिसका ठेका हैदराबाद के किसी ठेकेदार को दिया गया था। जिसका विरोध कोई आदिवासी समुदाय ने जमकर किया। इस पर स्थानीय कोई आदिवासियों द्वारा सन 1859 में यह घोषणा कर दिया गया कि वे लोग अंग्रेजों को एक भी पेड़ गिराने नहीं देंगे।जिस पर अंग्रेजी सरकार ने सरकार के हुकमत का अवमानना करने के खिलाफ उनके ऊपर दमनकारी नीति अपनाकर उनपर कहर बरपाना शुरू कर दिया तथा आदिवासियों को उनके जगह को छोड़ने मजबूर किया गया।

भूमकाल विद्रोह 1910:यह किसी आदिवासी का नाम नही था। भूमकाल शब्द का तात्पर्य सामाजिक एकजुटता से था। यह एक–दुसरे को एकता के सूत्र में बांधे रखता था। भूमकाल विद्रोह प्रमुखतः पारंपरिक रूप से सदियों से बस्तर के घने जंगलों में निवासरत आदिवासियों के भूमि अधिकार और जीवकोपार्जन के आधार को छिनने के कारण तथा अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों की हत्या करवाना भी प्रमुख कारण था। बस्तर के आदिवासियों का मानना था कि जंगल ही उनका जीवन है, तथा जंगल के प्रत्येक उत्पाद में उनका अधिकार है और यही उनके आजीविका के साधन था। इससे उनको दूर किया जा रहा था जिसके विरोध में आदिवासियों ने अंग्रजो के खिलाफ हल्ला बोल दिया और लम्बे समय तक यह जल, जंगल, जमीन बचाने का संघर्ष चलता रहा।

उपरोक्त आदिवासी विद्रोह का प्रमुख कारण ही जल, जंगल, जमीन तथा अपने मानवाधिकारों के रक्षा करने के लिए हुआ है। हालांकि, छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासी अंचलों में आजादी के पहले अंग्रेजों तथा सामंतशाहियों के खिलाफ अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विरोध के स्वर उठे हैं जिसमें अन्य विद्रोह जैसे मुरिया विद्रोह 1876, रानी विद्रोह 1878–1882, भोपालपटनम विद्रोह 1775 (द्विवेदी, 2014) आदि शामिल हैं।

2. स्वतंत्रता पश्चात् विस्थापनः

स्वतंत्रता पश्चात् विस्थापन की प्रक्रिया कम होने के बजाय और जोर पकड़ना शुरू हो गया। बहुत से आदिवासियों को यह विश्वास था कि देश में आजादी के पश्चात् माहौल ठीक हो जायेगा, उनके जीवन स्तर में भी सुधार और सकारात्मक परिवर्तन आएगा किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देश के लिए उनकी बलिदान देने और समर्पण करने वाले आदिवासियों का जीवन वैसा ही बना रहा। इस सन्दर्भ में वरिष्ठ पत्रकार, पंकज चतुर्वेदी का मानना है कि विस्थापन हमेशा से बहुत ही तकलीफदेय रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने मूलस्थान को कुशलमंगल त्यागना नहीं चाहता है, किन्तु हालात के कारण मजबूर होना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से विस्थापन चाहे नगरीकरण के लिए हो या शहरीकरण या फिर रोजगार की खोज में पलायन या फिर बलपूर्वक विस्थापन हो सभी पीड़ादायक होती है। निरंतर विस्थापन के फलस्वरूप आज शहरी आबादी के 31.16 प्रतिशत अर्थात देश की एक तिहाई जनसंख्या अब शहरों में बसने लगे हैं। यह एक तरह से प्राकृतिक सौन्दर्य और शुद्धता को नष्ट कर कृतिम और दिखावटी दुनिया तैयार करने जैसा है अर्थात शहरीकरण के लिए ग्रामीण या जंगली क्षेत्रों को नष्ट करना और शहर बसाना। इस सन्दर्भ में भारत में हुए विस्थापन के संबंध में तालिका 01 को देखें तो पता चलता है कि भारत में 1951 से 1990 तक कितनी संख्या में आदिवासी समुदाय और लोगों का विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर विस्थापन करवाया गया है।

तालिकाः 01. एक अनुमान के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित व्यक्तियों और आदिवासियों के आंकडे (लाख में), 1951–1990

परियोजना का नाम	पूर्ण विस्थापित व्यक्तियों की संख्या	विस्थापित व्यक्तियों का प्रतिषत	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन (लाख में)	पुनर्स्थापन व्यक्तियों का प्रतिषत	पूर्व में रिक्त लाख में	प्रतिषत पूर्व में रिक्त	विस्थापित आदिवासी लाख में	सम्पूर्ण विस्थापित व्यक्तियो का	विस्थापित और पुनर्स्थापित आदिवासी लाख में	विस्थापित आदिवासी व्यक्तियों का	रित आदिवासी व्यक्तियों का	प्रतिषत रिक्त रहे आदिवासी व्यक्तियों का
बांध	164.0	77.0	41.00	25.0	123.00	75.0	63.21	38.5	15.81	25.00	47.40	75.0
खदान	25.5	12.0	6.30	24.7	19.20	75.3	13.30	52.20	3.30	25.00	10.00	75.0
उद्योग	12.5	5.9	3.75	30.0	8.75	70.0	3.13	25.0	0.80	25.0	2.33	75.0
वन्यजीव	6.0	2.8	1.25	20.8	4.75	79.2	4.5	75.0	1.00	22.0	3.50	78.0
अन्य	5.0	2.3.	1.50	30.0	3.50	70.0	1.25	25.0	0.25	20.2	1.00	80.0
कुल	213.0	100	53.80	25.0	159.20	75.0	85.39	40.9	21.16	25.0	64.23	79.0

स्रोतः बिसवरंजन, मोहंती (2005:1318)।

जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने आप में प्राकृतिक सम्पदा के लिए जाना जाता है। जिसके कारण यहॉ पर मानवनिर्मित विस्थापन के मामले भी ज्यादा हुए है। छत्तीसगढ़ राज्य में हुए विस्थापन के आने मानवनिर्मित कारण हुए हैं जिसमें आदिवासियों को अपने पैतृक स्थान से दुसरे जगह विस्थापित होना पड़ा है। इसमें प्रमुख रूप से जल संग्रहण के लिए बॉध निर्माण, उद्योग स्थापना, प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन, यातायात के साधन निर्माण में, पर्यावरण संरक्षण के लिए, सरकारी कार्यलयों के लिए अरक्षित करने आदि के लिए आदिवासियों तथा संबधित क्षेत्र के लोगों को विस्थापित किया गया है।

इसका रिपोर्ट अविभाजित मध्य प्रदेश के सन 1982–1990 और वर्तमान छत्तीसगढ़ के 2007 तक के भूमि अधिग्रहण रिपोर्ट से देखा जा सकता है (साहू, 2015:75–76)। इस रिपोर्ट तालिकाः 02 के अनुसार हम

देख सकते है कि छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर कितने प्रतिशत जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया है। जो संभवतः अनुसूचित क्षेत्रों से है। इसमें 1982 से 1990 तक कुल 51,016.56 एकड़ जमीन पर सरकार ने अपना कब्जा जमाया है जिसमें तालिका में वर्णित मंदों को आवंटित किया है। जिसमें सबसे ज्यादा जल संसाधन, उद्योग, यातायात विभाग को जमीन दिया गया है। इसी तरह 1991 से 2007 के आंकड़े बताते हैं की शासन द्वारा अधिग्रहण सीमा को बढ़ाकर 103,066.7 एकड़ कर दिया गया जिसमें जल संसाधन के अलावा उद्योग, हाइड्रोक्लोरिक पॉवर, यातायात तथा रक्षा के क्षेत्रों के लिए ज्यादा जमीन दी गई थी। इस तरह अगर 1982 से 2007 तक के आंकड़ों पर गौर करे तो पाते हैं कि कुल 154,083.3 एकड़ जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है जो संभवतः अनुसूचित क्षेत्रों की है।

तालिका 02 छत्तीसगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण का रिपोर्ट, वर्ष 1982–1990 तथा 1991–2007

योजना मंद का विवरण	1982–1990		1991–2007		योग	
	अधिग्रहित भूमि एकड़ में	प्रतिशत	अधिग्रहित भूमि एकड़ में	प्रतिशत	अधिग्रहित भूमि एकड़ में	प्रतिशत
जल संसाधन	4900.96	96.05	51429.54	49.09	100431.5	65.16
उद्योग	279.73	0.55	5434.11	5.27	5713.84	3.71
खनिज	62.05	0.12	1330.76	1.29	1392.81	0.9
हाइड्रोक्लोरिक पॉवर	5.25	0.01	4083.04	3.96	4088.29	2.65
रक्षा	3.74	0.01	3898.4	3.78	3902.14	2.53
पर्यावरण संरक्षण	39.23	0.08	4.09	00.00	43.32	0.03
यातायात	1480.6	2.9	35782.24	34.72	37262.84	24.18
मानव संसाधन विकास	0.01	00.00	95.67	0.09	95.78	0.06
शरणार्थी पुनर्वास	5.22	0.01	00.00	00.00	5.22	00.00
मत्स्य कृषि	00.00	00.00	1.66	00.00	1.66	00.00
शहरी विकास	39.68	0.08	381.89	0.37	421.57	0.27
स्वास्थ्य	00.00	00.00	7.06	0.01	7.06	00.00
आवासीय	57.34	0.11	192.18	0.19	249.52	0.16
सामाजिक कल्याण	0.34	00.00	40.9	0.04	41.29	0.03
शिक्षा	9.9	0.02	7.78	0.01	17.68	0.01
सरकारी विभाग	31.41	0.06	377.02	0.37	408.43	0.27
पर्यटक	00.00	00.00	0.37	00.00	0.37	00.00
कुल योग	51016.56	100	103066.7	100	154083.3	100

स्रोत साहू (2015:75–76)

विस्थापन एक गतिशील प्रक्रिया रही है जो छत्तीसगढ़ राज्य में निरंतर जारी है। इसे और करीब से समझने के लिए छत्तीसगढ़ के चार संभागों का संक्षेप में अवलोकन किया गया है, जो इसप्रकार हैं:

बस्तर संभाग:छत्तीसगढ़ राज्य में विस्थापन की सबसे ज्यादा मार झेलने के मामले में बस्तर संभाग अव्वल है। जहॉ पर सरकार ने प्राकृतिक सम्पदा के लुट के लिए राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आदिवासियों की जमीन को दे दिया है। यहॉ पर आदिवासियों का जीवन नरक बन गया है क्योंकि यहॉ पर उनको सरकार, पूंजीपतियों, सरकारी अफसरशाही, पुलिस बल, सलवा जुडूम, नक्सलवाद जैसे अप्राकृतिक

परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हैं। सामाजिक संगठनो के एक अनुमान के तहत सलवा जुडूम के शुरुआत पश्चात् से बस्तर संभाग से लगभग छः सौ गांव खाली हो चुके हैं। यह आदिवासियों के अस्तित्व और अस्मिता के लिए चिंताजनक है।वहीं, सीबीआई के अनुसार 2011 में सुकमा जिले के ताड़मेटला गांव में 160 घरो को आग के हवाले कर दिया था जिसमें भारतीय सुरक्षाबलों का संलिप्तता होना बताया गया है। साथ ही साथ आदिवासी औरतों के साथ अनाचार भी किया गया था। इसमें राज्य पुलिस तथा कोबरा सुरक्षाबलों के 95 सैनिकों के शामिल होने का पुख्ता साबुत होना बताया गया है। इस पर सामाजिक कार्यकर्त्ता हिमांशु कुमार का कहना है कि, आईजी कल्लूरी इनाम के लालच में आदिवासियों का शोषण कर रहा है तथा फर्जी मामलों में फंसाकर जेल में डालकर उनसे समर्पण करवाता है। तथा नहीं करने की स्थिति में एनकाउंटर द्वारा जान से मारना जैसे हरकत करता है। जिससे डरकर आदिवासी अपने निवास स्थान से भाग जाए और परिणामतः यह हो भी रहा है।

बस्तर के पूर्व विधायक और आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुंजाम कहते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार आदिवासी विस्थापन के मुद्यों पर गंभीर नहीं हैं तथा आदिवासी विस्थापन ही सरकार की नीति बन गयी है। जब भूमि की आवश्यकता पड़ती है तब सरकार बिना झिझक के हजारों आदिवासिओं को बेघर करके छोड़ देती है। इसका उदाहरण बस्तर के लोहंडीगुडा विकासखंड में 10 गांवों के जमीन को टाटा स्टील प्लांट द्वारा बलपूर्वक हस्तांतरित करना है। यह भूमि अधिग्रहण पूरी तरह बन्दुक के दम पर शासन–प्रशासन के सहयोग से कर किया गया है तथा कंपनी के विरोध में खड़े होने वाले आदिवासियों को फर्जी मामलों में जेल में अंदर कर प्रताड़ित किया जाता है। टाटा और एस्सार को इन्द्रावती और शबरी नदी के जल को भी बेच दिया गया है। इसतरह, सरकार पूंजीपतियों और उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एजेंट की तरह इन कंपनियों को मुनाफा पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक जा कर घिनौनी कार्यों को अंजाम दे रही है। चूँकि, उद्योगपतियों की नजर गिद्ध की तरह छत्तीसगढ़ की धरती में जमी हुई है। चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी आदिवासियों का विस्थापन कराना पड़े। बस्तर का हर एक कोना प्राकृतिक रूप से धनवान है चारो ओर लोहा, कोयला, हिरा, इमारती लकड़ी, वनौषधि, तेंदू पत्ता जैसे अनेक बहुकिमती उत्पादों का भंडार है जिसके कारण आदिवासी समुदाय हर पल शिकार हो रहे हैं। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता शशिभूषण ठाकुर कहते हैं कि, यह माओवादीयों के खिलाफ चल रहा अभियान उन्हीं क्षेत्रों में अधिक सक्रीय है जहॉ भूमि के अन्दर प्राकृतिक संपदाओं की अकूत संपत्ति है जहॉ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हित छुपा है'।

एक अन्य कार्यक्रम में मनीष कुंजाम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, उद्योगों से सबसे अधिक नुकसान आदिवासियों का ही होना है। इससे पहले भी एनएमडीसी ने जब नगरनार में स्टील प्लांट लगाना चालू किया था तब भी आदिवासी महासभा द्वारा बहुत जोरो से विरोध किया गया था, आखिरकार जनता को ही पीछे हटना पड़ा। इसमें भी महासभा को स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी किन्तु वह भी नहीं हुआ। ऐसी ही स्थिति बैलाडीला लौह अयस्क का है जहॉ पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं है। बस्तर में लगातार उद्योगों का निर्माण कर आदिवासियों को विस्थापित करना पूरी तरह से लूट मचाना है और प्राकृतिक रूप से धनी बस्तर को निचोड़ डालना ही पूंजीपतियों और सरकार का मंसूबा जान पड़ता है। वहीं आदिवासी विकास मंत्री, केदार कश्यप अखबार के माध्यम से कहते हैं कि, "आदिवासियों को अपने संस्कृति, अस्तित्व की रक्षा के लिए एक साथ आना होगा अन्यथा यह भी न्यूजीलैंड के माओरी जनजातियों की तरह खत्म हो जायेंगे कथा–कथानक के रूप में ही याद किये जायेंगे"।

इसी तरह बीबीसी के संवादाता सलमान रावी का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग में नक्सलवादियों तथा सुरक्षाबलो के बीच लम्बे समय से चल रहे द्वंद युद्ध के कारण आदिवासियों का बहुतायत जनसंख्या पलायन करने को मजबूर हो रहें हैं। जिसका सरकार के पास कोई भी प्रमाणिक आंकड़े नहीं है। परिणामस्वरूप, आज बस्तर का सामाजिक और मानवीय रिश्ते 'शक' और 'संदेह' का भेंट चढ़ गया

है। सुरक्षाबल और नक्सलवादी आम आदिवासियों को भेदी या मुखबिर के नजर से देखते हैं, हर कोई एक दुसरे को शक के निगाह से देखा करते हैं। जबकि सारी दुनिया आदिवासियों को षालिनता और शेलेपन के लिए जानते हैं। बस्तर के जनजीवन के सन्दर्भ में पत्रकार शुभ्रांशु बताते हैं, 'पिछले पांच सालों में आदिवासियों का पलायन बढ़ा है, यही वह समयवधि जब नक्सलवाद की समस्या ने जोर पकड़ा है'।

सरगुजा संभागः नवभारत टाइम्स 2 जून 2010, में आये खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के उदयपुर तथा प्रेमनगर विकासखंड में 2500 एकड़ विशाल भू–भाग में अल्ट्रा मेगा बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई की गई है। सक्षम अधिकारीयों के बताये अनुसार 2500 एकड़ जमीन में 1200 एकड़ पॉवर प्लांट के लिए, 1000 एकड़ राखडबांध के लिए, 200 एकड़ जल संग्रहण के लिए तथा 100 एकड़ आवासीय परिसर निर्माण के लिए अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है। इस मेगा बिजली संयंत्र में 120 मिलियन टन कोयले तथा 135 मिलियन घनमीटर पानी की जरूरत होगी। इस परियोजना में 4000 मेगावाट बिजली परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना के तहत क्षेत्र के 11 गांवों के 30 घरों का विस्थापन होगा। इसी तरह सरगुजा जिले में ही हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थापित अदानी की 'पर्सा ईस्ट केते बासन' कोयला खदान भी आदिवासियों के विस्थापन का कारण है। जिला जशपुर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र लगभग 70 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक निवासरत, क्षेत्र में एक सौ बारह उद्योगों की स्थापना के लिए आदिवासियों को प्रभावित किया गया।

बिलासपुर संभागः 20 फरवरी 2009 को अचानकमार टाइगर रिजर्व के सन्दर्भ में सुचना जारी किया गया। जिसमें यहॉ के 25 प्रस्तावित गॉव में से 06 गॉव कूबा, सांभरधसान, बोकराकछार, बांकल, बहाउड़ से पहले चरण की विस्थापन की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू की गयी। इस प्रक्रिया के तहत विस्थापित व्यक्तियों की संख्या नीचे तालिका 03 के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। जिसमें कुल 247 आदिवासी परिवारों में 871 सदस्य थे।

तालिकाः 03 अचानकमार टाइगर रिजर्व के विस्तार हेतु पहले चरण में विस्थापित गॉव, 2009

क्रमांक	विस्थापित गॉव का नाम	विस्थापित परिवारों की संख्या	विस्थापित सदस्य की संख्या (महिला–पुरुष)
01	कूबा	22	52
02	सांभरधसान	17	44
03	बांकल	30	127
04	बहाउड़	66	254
05	जल्दा	74	258
06	बोकराकछार	38	136
कुल		247	871

स्रोतःआर., साहू (2015)।

इसी तरह, 23 जून 2016 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में आदिवासियों ने सरकार के वन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ रायगढ़ जिला मुख्यालय में भारी संख्या में रैली निकालकर सरकार की गलत नीति के विरोध में जमकर नारेबाजी किया और अपने जल, जंगल, जमीन से नहीं हटने का ऐलान किया। ज्ञात हो कि यह नारेबाजी वनाधिकार कानून के उल्लंघन, रेल लाइन और कोयला खदानों के गैर–कानूनी तरीके से अधिग्रहण को लेकर था। भूमि अधिग्रहण की इस विरोध प्रदर्शन में बहुत से संगठन ने भी साथ दिया जिसमें प्रमुख रुप से दलित–आदिवासी मजदूर संगठन, तेंदा नवापारा संगठन समिति, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, स्वदेशी समाज मूल निवासी मोर्चा आदि रैली में सम्मिलित हुए थे तथा इसके विरोध

में एस.डी.एम. रायगढ़ को ज्ञापन भी सौंपा गया और आदिवासियों ने सरकार विरोध में नारे शी लगाए जो इस प्रकार हैंः

नहीं हटेंगे, नहीं झुकेंगे।
जब तक दम है, तब तक लड़ेंगे।
जंगल नहीं कटेगा, गॉव नहीं हटेगा।

इसी प्रकार आदिवासी बाहुल्य रायगढ़ जिले के एक अन्य मामले में विकास के नाम पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए जमीन दे दी गई जो रायगढ़ जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित तमनार क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमें बनखेता, कोडकेल, डोंगामहुआ, गारे, पेलमा तथाइसके अलावा छः अन्य गॉव जो आदिवासी बाहुल्य हैं। इस क्षेत्र में अभी तक 12–15 गांवो का उजाड़ हो चुका है। इन गॉव में निवासरत आदिवासियों में भारत सरकार के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र अर्थात अति–विशेष पिछड़ी जनजाति कहे जाने वाले 'बिरहोर' आदिवासियों का गॉव बनखेता भी है। जहॉ से ज्यादातर लोग सन 2005 से ही गॉव छोड़कर चले गये हैं तथा 20–25 परिवार ही शेष बचे हैं।

रायपुर संभागः राज्य की राजधानी रायपुर संभाग में भी विस्थापन जारी है। अभी हाल ही 2016 में मीडिया खबरों के मुताबिक राज्य सरकार ने ग्राम बाघमरा (सोनाखान) जिला बलौदा बाजार–भाटापारा के अंतर्गत गिरौदपुरी धाम के पश्चिम दिशा में स्थित इस गॉव के जंगल में 2700 किलोग्राम सोने होने का अनुमान लगाया गया है। ज्ञात हो कि यह ग्राम छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद व आदिवासी नायक शहीद वीरनारायण सिंह का जन्मस्थली गॉव है। जिसे सरकार ने वेदांता ग्रुप को सोना निकालने के लिए ठेके में बेच दिया है। जबकि इस गॉव में रहने वाले आदिवासियों के विस्थापन कराने के पूर्व कोई भी विस्थापन नीति तैयार नहीं किया गया और वेंदाता ग्रुप को इस सोने के खान की खुदाई के लिए ठेके पर दे दिया। यह खदान बाघमरा गॉव में 608 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसी तरह रायपुर में 2,000 एकड़, सिमगा में 4,000 एकड़, रायगढ़ में 48,000 एकड़ जमीन का भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसके कारण आदिवासियों के साथ–साथ गैर–आदिवासी परिवार भी विस्थापित हुए हैं (साहू, 2015:76)। इसके अलावा विभिन्न सिमेंट कंपनियों के लगाये जाने तथा विस्तार के कारण विस्थापन हो रहा है।

आदिवासी अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा पांचवी और छठवी अनुसूचीः

भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों को एक अलग से विशेषाधिकार प्रदान किया है। जहॉपर अन्य सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अनुसूचित क्षेत्र में विशेष कानून लागु होता है, इनमें जनजातीय क्षेत्र शामिल नहीं होता है। इस विशेषाधिकार को भारतीय संविधान के पांचवी अनुसूची में रखा गया है तथा अनुच्छेद 244 (1) पैरा (5) में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि भारत का संसद या राज्य का कोई भी विधानसभा या विधानमंडल का सामान्य कानून अनुसूचित क्षेत्र में लागु नहीं होगा। इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त होता है, कि वह किसी भी राज्य के किसी भी भाग या क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित कर सकता है। पांचवी अनुसूची के सन्दर्भ में अग्निहोत्री और अवस्थी (2011) कहती है कि, यह 1874 की 'अनुसूचित जिला अधिनियम' का 1919 एवं 1935 के 'भारत सरकार अधिनियम' समावेशीय रूप है. इस संबंध में अभी तक नौ राज्यों में पांचवी अनुसूची के क्षेत्र घोषित किये जा चुके हैं। उन राज्यों के नाम इस प्रकार से हैंः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, गुजरात, हिमांचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान हैं। इस प्रकार से देश के लगभग 4,17,199 वर्ग किलोमीटर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, जहॉ पर 280.19 लाख अनुसूचित जनजातियों की आबादी निवास करती है। यद्यपि, उपरोक्त अंकित राज्यों पर यदि राज्यपाल चाहे तो अनुसूचित क्षेत्रों को सामान्य, नियम–कानून लागु करते समय या इनसे पूर्व परिवर्तन या परिसीमन कर सकता है। साथ ही प्रशासनिक कार्यों की भली–भांति सुगमतापूर्वक संचालन एवं निर्वहन के लिए नियमों का निर्माण भी कर सकता है जो बाहरी गतिविधियों, साहुकारो,

महाजनों, ठेकेदारों, भूमि–हस्तानात्रण एवं आबंटन आदि के स्थिति को नियंत्रित करने के सन्दर्भ में हो सकते हैं। इसके लिए अगर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को सूचित भी कर सकता है (श्रीवास्तव, 2007)।

छठवी अनुसूची के अंतर्गत स्वशासित अधिकार प्राप्त जनजातीय राज्यों को शामिल किया गया है, इन राज्यों में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। इसका तात्पर्य इनके संवैधानिक अधिकारों की अधिक से अधिक सुरक्षण से हैं ताकि ये लोग अपना दैनिक संचालन स्वतंत्र रूप से कर सके. यह राज्य अपने अधिकारों के लिए एकदम स्वतंत्र है वैसे तो सभी राज्य स्वतंत्र होते हैं फिर भी से इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है जिनसे इनके आतंरिक मामलों में कोई गैर–हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। इसीलिए इन राज्यों को 'राज्य के भीतर राज्य' कहकर संबोधित किया गया है। किसी भी तरह के अधिनियम लागु करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति का सुनिश्चित होना अनिवार्य है(अग्निहोत्री एवं अवस्थी, 2011; हसनैन, 2010)।

निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़, राज्य आदिवासी संस्कृति और सभ्यता का द्योतक रहा है। यहॉ की अकूत खनिज सम्पदा ही यहॉ पर बसने वाले इन आदिवासी समुदायों के लिए खतरा बन गया है। प्राकृतिक रूप से संपन्न छत्तीसगढ़ राज्य में विकास के नाम पर आदिवासियों का सफाया किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय आज दोहरा–तिहरा मार झेलने मजबूर है। एक तरफ सरकार के बनाये औद्योगिक नीति से तो दुसरे तरफ इन औद्योगिक घराने को बचाने तैनात किये गए पुलिस तथा सुरक्षाबलों से, तीसरी ओर नक्सलियों के बंदूकों के शिकार। और तो और सरकार और फोर्स की नजर में आदिवासियों की पहचान अब सिर्फ माओवादी या नक्सली के रूप में की जाने लगी है। अभी हल ही में सुरक्षाबलों के द्वारा आदिवासियों के गॉवको जलाना, दो निर्दोष नाबालिक मासूम स्कूली बच्चों को नक्सल के नाम पर गोली मारना, आदिवासी महिलाओं को उनकी कौमार्यता परीक्षण के नाम पर सेना द्वारा आदिवासी महिलाओं के स्तन निचोड़ना तथा उनका बलात्कार करना जैसे आम बात हो गई है। आदिवासी समुदाय हमेशा बाहरियों से ठगा गया है चाहे वह सरकार हो या पूंजीपति। आज आदिवासी समुदाय अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गॉव में, अपने ही घर में अपने मौलिक अधिकारों के लिए तथा अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लडने मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि इनकी जिन्दगी का पूरा लेखा जोखा मानों अब सरकार और पूंजीपतियों के हाथ में है, कब किसको और कहॉ ठिकाना लगवाना हैं। उनके जमीन जायदादों को हड़पना है, यह सब अब उनके हाथ में हैं। जबकि आदिवासी और उनकी संस्कृति कभी भी किसी के विनाश के कारण नहीं बने हैं। फिर शी,विस्थापन का यह सिलसिला नई नहीं है अपितु यह स्वतंत्रता पूर्व की कारक रही है। आजादी पश्चात् इनसे निजात पाने के आश था जिन्हें अब आदिवासी खोते जा रहे हैं।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में भी आदिवासियों को सबसे पिछड़े और कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हांकित किया गया है। जिसके कारण उनकों संविधान निर्माताओं ने संविधान के पांचवे और छठवें अनुसूची में शामिल किया है जिसमें उनके विकास और रहन–सहन, धार्मिक,आर्थिक अधिकार, रीति–नीति आदि के लिए विशेष उपबंध उपलब्ध कराए गए हैं जिसको कोई भी गैर–आदिवासी उनसे छीन नहीं सकता है। लेकिन यह सब व्यवहारिक रूप मेंक्रियान्यवन कम हीहोता हैं। आजादी के सत्तर साल बाद भी ये कानून और धारायें राष्ट्रीय न्यायधानी दिल्ली से बस्तर तक नहीं पहुॅच पाए हैं और अगर पहुॅचे भी होते तो आज यह चर्चा नहीं करनी पड़ती और न हो कोई मुद्या होता। उल्टा उन्हें उन्ही के जमीन पर तरह–तरह के आरोप लगाकर उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। आदिवासियों के लिए न्याय की बाते करना ही जुल्म जैसा हो गया हैं। इसका उदाहरण आदिवासी अंचलों के जेल में क्षमता से अधिक आदिवासियों को रखा जाना सारे कहानियों को स्पष्ट कर देता है। ऐसे अंचलों में अक्सर देखा गया है कि जो कोई भी अपने अधिकारों के लिए सरकार और पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज उठाते दिखे तो उनको सीधा जेल में डाल दिया जाता है। उनको न्याय के लिए न्यायालय तक में पेश नहीं किया जाता है। जिससे यहॉ पर कुछ सवाल उभर कर सामने आता है, कि जब आदिवासी समुदाय में किसी प्रकार के अपराध जैसा बलात्कार, भीख मांगना, हिंसा जैसे दुर्गुण ढूॅढने में नहीं मिलता है, तो ऐसी कौन सी अपराध उनके द्वारा

उनके अपने ही गॉव और घरों में करना पड़ता है, जिसके कारण उनको जेल में सड़ा दिया जाता है? नक्सली बताकर एन्काउंटर कर दिया जाता है जबकि, दूसरी तरफ आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी आज आदिवासी समुदाय अपने आधारभूत और बुनियादी सुविधायें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहा है। जबकि, उनके पास प्राकृतिक रूप से जल, जंगल और जमीन के रूप में अकूत खजाना मौजूद है। जिनकी लूट में उनको विस्थापन का मार सहना पड रहा है।

छत्तीसगढ़, में इस विस्थापन ने अति–विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी संकट में डाल दिया है। आज भी इनके पास सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे बुनियादी अधिकार और सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण यह समाज अन्य आदिवासी समाज से भी ज्यादा पिछड़ गया है। कुछ–कुछ जनजातियॉ जैसे बिरहोर और पहाड़ी कोरवा जनजाति का तो अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है, जिसके कारण यह जनजातियॉ महज सैकड़ों और हजारों में सिमट कर रह गई है। क्योंकि इन समुदायों को विकास के नाम पर विस्थापन की हत्थे चढ़ा दी गई है। वहीं जशपुर और सरगुजा जिलों में असुर नामक जनजाति समुदाय भी लगभग विलुप्ति के ही कगार पर ही हैं जिनकी जनसंख्या महज दो सौ पच्चीस रह गई है। जबकि इनके लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं हैं।

और अगर इन सब सरकारी दमन और अत्याचार से कोई आदिवासी बच भी गया तो सरकार के पास सलवा जुडुम और ग्रीन हंट जैसे आदिवासी विनाष के कार्यक्रम बने पड़े हैं। जिससे उनका पूरा सफाया किया जा सके। चूँकि, ये दोनों ऑपरेशन से आदिवासी ही मारा जाता है और उनके जल, जंगल, जमीन पर सरकारी और कॉर्पोरेट जगत का कब्जा आसानी से हो जाता है। विस्थापन किसी भी रूप में हुआ हो पिसना तो आदिवासियों को ही है। ये कैसा विकास मॉडल है जो किसी के जिंदगी छिनकर बनाया जाता है? विकास के नाम पर किसी गरीब पिछड़े का घर उजाड़ा जाता है? विकास के नाम पर उनके बहु–बेटियों के अस्मिता के साथ खेला जाता हैं? ये कैसा विकास हैं जो किसी के व्यक्तिगत जीवन को बूरे प्रभावित करता है? ऐसे ही कितने सवाल उठ खडे होते हैं, जो विस्थापन पश्चात् सरकार के आदिवासी विकास के पोल खोलते हैं।

सुझाव/अपनी बातः

1. जल, जंगल, जमीन आदिवासियों के आजीविका का प्रमुख केन्द्र है, इनसे आदिवासी अपनी आजीविका तलाशती है. अतः आजीविका छीने जाने से पूर्व पूर्ण पुनर्वास तथा जीवकोपार्जन की व्यवस्था करानी चाहिए, जिससे आने वाली अनकही समस्यायों से बचा जा सके।
2. आदिवासियों की विस्थापन की प्रक्रिया बेहद ही संवेदनशील है, क्योंकि इससे आदिवासियों की सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक, भावनात्मक तथा आत्मीय रिश्ते प्रबल रूप से जुड़े होते हैं।
3. विस्थापन हड़प या लूट की उद्देष्य से नहीं किया जाना चाहिए।
4. विस्थापन से पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा, नौकरी और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करानी चाहिए।
5. विस्थापितों को अच्छी चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था करानी चाहिए जिससे नए वातावरण में स्वास्थ्य समस्यायों से संघर्षरत आदिवासियों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके।
6. राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आदिवासियों के शैक्षणिक स्थिति अनुसार नौकरी की अनिवार्यता निर्धारित करनी चाहिए, जिससे इन लोगों में बेरोजगारी तथा भुखमरी की समस्यायें उत्पन्न न हो।
7. आदिवासियों की बहु–बेटियों की इज्जत लूटनातथा उनके महिला–पुरुषों को फर्जी एनकाउंटर करना बंद करनी चाहिए।
8. आदिवासियों की जमीनों में अवैध कब्जा नहीं करनी चाहिए।

9. विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितार्थ बनाये योजनायों के अमल हेतु विशेष दल का भर्ती करनी चाहिए, जिससे ये लोग सरकार को उनके दैनिक जीवन से रूबरू कराते रहे।
10. आदिवासी इलाकों में हर पांच से दस किलोमीटर के दुरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करनी चाहिए।
11. आदिवासियों के साथ अपनत्व का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह से सामाजिक या जातीय भेदभाव का दुर्व्यैवहार नहीं करनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थसूची:

- डॉ ए. आर.एन. श्रीवास्तव (2007), जनजातीय भारत, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल (म.प्र.)।
- डॉ रवीन्द्रनाथ मुकर्जी (2008), सामाजिक मानवशास्त्र की रुपरेखा, विवके प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली।
- नदीम हसनैन (2010), जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
- विभा अग्निहोत्री एवं ऐश्वर्या अवस्थी (2011), भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मानवविज्ञान, भारत बुक सेंटर, लखनऊ (उ.प्र.)।
- जोसफ एम. के. (2008), डेवलपमेंट–इनदुसड डिस्प्लेसमेंट इन छत्तीसगढ़: ए केस स्टडी फ्रॉम अ ट्राइबल पर्सपेक्टिव, ओसिअल एक्शन, वोल. 58, जनवरी–मार्च।
- संजीव के. मांजरे एवं संतोष के. बंजारे (2015), जनजातीय समाज और समस्याएं, शोध मंथन, जर्नल अनु बुक्स, वोल.6, नं.1, मार्च।
- संजीव के. मांजरे एवं संतोष के. बंजारे (2015), आदिवासी कल्याण में संवैधानिक प्रावधानों की भूमिका, संघर्ष/स्ट्रगलः इ–जर्नल ऑफ दलित लिटरेरी स्टडीज, वोल. 04, इशू 08, जुलाई–सितम्बर।
- रामचंद साहू (2015), छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में विस्थापन के स्थिति एवं प्रभाव, सम्पादक, बलराम बिन्द, मीडिया पथ, प्रथम अंक, जुलाई–सितम्बर।
- मोहम्मद आमिर पाशा (2016), छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों में विकास और विस्थापन की स्थितिः एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन, एशियन जर्नल ऑफ मल्टी–डिसिप्लिनरी स्टडीज, वोल.4, इशू 10, सितम्बर।
- बिसवरंजन मोहंती (2005), डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफट्राइबल्स, इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, मार्च 26।
- डॉ. जे. उमा राव (2013), डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोटेस्ट मूवमेंटः द इंडियन एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग रिसर्च (IJMER) वोल. 3, इशू 3, मई–जून।
- मधुलिका साहू एवं जालंधर प्रधान (2016), काउंटिंग कनफ्लिक्ट–इनडयूस्ड इन्टर्नली डिस्पलेस्ड पर्सन्स इन इंडिया, वोल. LI, इशू नं. 40, अक्टूबर 1।
- छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक, छत्तीसगढ़ की औद्योगिंक नीति 2009–2014: पूंजीवाद लूट व शोषण और मेहनतकश गरीबों के विस्थापन के लिए रास्ता साफ करने का फरमान, ऑनलाइन वेब, अंतिम एक्सेस, 06.11..2016, समय 10:25 pm, mazdoorbigul.net, जून 29, 2010।
- प्रमोद पेठकर, (2008), जनजातीय समाज का विस्थापन एवं पुनर्वास सच जाने, तब योजना बनाएं, (अंतिम एक्सेस ऑन 03.12.2016, समय 08:25 pm, अवेलेबल ऑनवेबलिंक),URLhttp://panchjanya-com/arch/2008/1/13/File17-htm
- वाल्टर फर्नांडिस, विस्थापन, आभाव और विकास की प्रक्रिया, (अंतिम एक्सेस ऑन 11.01.2016, समय 12:25 pm),URL: http://hindi-indiawaterportal-org/node/47813
- डॉ. सीमा द्विवेदी (2014), ट्राइबल रिबेलियन इन छत्तीसगढ़, द इंटरनेशनल जर्नलऑफ बिजनस एंड मैनेजमेंट, वोल. 2, इशू 9, सितम्बर.
- हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, अंतिम ऑनलाइन एक्सेस ऑन 11.10.2016, समय 04:00 pm, अवैलेबल ऑनवेबलिंक,URL: http://www-mapsofindia-com/chhattisgarh/history-html
- स्टैटिस्टिकलप्रोंफाइल ऑफ स्केडूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया (2013), मिनिस्ट्रीऑफ ट्राइबल अफेयर्स स्टेटिस्टिक्स डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया [www-tribal-nic-in].
- पंकज चतुर्वेदी (2013), विस्थापन रुकता नहीं पुनर्वास होता नहीं, अंतिम ऑनलाइन एक्सेस ऑन, 19.12.2013, URL] http://www-livehindustan-com/home/StoryPage/Print/story&385572-html

- पंकज चतुर्वेदी (2014), विस्थापन से बड़ी कोई त्रासदी नहीं, अंतिम ऑनलाइन एक्सेस ऑन 03.12.2016, समय 08:35 pm, अवैलेबल ऑन लिंक,URL] http://www-samaylive-com/editorial/264016/no&big&a&tragedy&of&displacement-html#
- नवभारत टाइम्स, देश का पांचवा अल्ट्रा मेगा बिजली संयंत्र छत्तीसगढ़ में, जून 2, 2010,**Error! Hyperlink reference not valid.**
- विस्थापन के मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं, 02 जुलाई 2010, deshbhandhu.co.in
- http://mnaidunia.jagran.com/chhattisgarh/jagdalpurtribalcameonroadagainstindustriesinbastar368187
- वेदांता विन्स कंट्रीस फर्स्ट गोल्ड माइन ऑनलाइन इन छत्तीसगढ़, 27 फरवरी 2016, रायपुर से प्रकाशित बिजनस स्टैण्डर्ड न्यूज, http://www.businessstandard.com/article/companies/vedantawinscountrysfirstgoldmine-auctioninchhattisgarh116022700371_1.html
- संघर्ष संवाद, http://www.sangharshsamvad.org/2016/09/blogpost_13.html
- Staff, S. (2016, November 27). Adivasis. Retrieved November 27, 2016, from https://sabrangindia.in/tags/adivasis
- देश में आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह क्या है?, जनसत्ता, 30 नवम्बर 2016.
- बीबीसी (2014). मझधार में फंसे बस्तर के आदिवासी,Retrieved November 27] 2016] from BBC] http://www-bbc-com/hindi/mobile/india/2012/01/120118_chattisgarh_va-shtml
- जंगल नहीं कटेगा, गॉव नहीं हटेगाः घरघोड़ा के आदिवासियों का ऐलान, 25 जून 2016, को प्रकाशित, ऑनलाइन अंतिम एक्सेस 8 नवम्बर 2016, अवेलेबल ऑन वेबलिंक http://www.sangharshsamvad.org/2016/06/blog-post_19.html
- जंगलों की कीमत खरबों, आदिवासी फिर भी गरीब, 12 अगस्त 2016 को ऑनलाइन वेबलिंक में प्रकाशित, अंतिम एक्सेस 8 नवम्बर 2016, http://www-dw-com/h-
- नितिन सिन्हा का फैक्ट रिपोर्ट, रायगढ़ के आदिवासियों की अस्तित्व की लड़ाई और जबरदस्ती विस्थापन का दर्द, 4 मार्च 2016 को जंतर मंतर लाइव से प्रकाशित, अंतिम एक्सेस 8 नवम्बर 2016http://www.jantarmantarlive.com
- छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2009–2014 – मजदूर बिगुल. Retrieved November 26, 2016, तिवउ मजदूर बिगुल, https://sites.google.com/site/bigulakhbar/juna-2010/chattisgarh-ki-audhyogik-neeti-2009-2014

❑❑❑